श्री शिवेन्द्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),उन्नाव की अध्यक्षता मे दि0 07.11.2014 को कलेक्ट्रेट, उन्नाव के पन्नालाल सभागार में सम्पन्न हुई राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति :-
1. श्री हरीलाल यादव, नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2. श्री सरजू प्रसाद शुक्ल, उप जिलाधिकारी,सदर उन्नाव ।
3. श्री प्रशान्त कुमार भारती, उपजिलाधिकारी, हसनगंज।
4. श्री मृत्युंजय राम, उपजिलाधिकारी, बीघापुर।
5. श्री विजय शंकर दुबे, सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव ।
6. श्री मन्सूर अहमद, तहसीलदार, सदर उन्नाव ।
7. श्री सुरेश राय, तहसीलदार, बीघापुर।
8. श्री राजेश कुमार, तहसीलदार, पुरवा।
9. श्री उदयभान सिंह, तहसीलदार, हसनगंज।
10. श्री तेजकुमार, प्रशासनिक अधिकारी।
11. श्री कुलदीप श्रीवास्तव, प्रशासनिक अधिकारी।
12. श्री कृष्ण कुमार, प्रशासनिक अधिकारी।
13. श्री श्रीराम रावत, प्रशासनिक अधिकारी।
14. श्री जावेद खां, प्रशासनिक अधिकारी उन्नाव।
15. श्री नरेन्द्र कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, उन्नाव।
16. श्री विनय कृष्ण, औषधि निरीक्षक, उन्नाव।

बैठक में विचार विमर्श व समीक्षा के उपरान्त निम्नवत् निर्देश दिये गये :-

राजस्व वाद-

जनपद में राजस्व वर्ष मे दायर कुल 24095 वादो के सापेक्ष कुल 21601 वादो का निस्तारण किया गया है। माह के अन्त मे 9508 वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं जिनमें 1,448 वाद एक वर्ष से अधिक पुराने हैं। मानक के सापेक्ष अतिरिक्त अधिकारी 13 प्रतिशत, नायब तहसीलदार बीघापुर 67 प्रतिशत, नायब तहसीलदार सफीपुर 68 प्रतिशत, नायब तहसीलदार औरास 76 प्रतिशत, नायब तहसीलदार फतेहपुर-चौरासी 72 प्रतिशत, नायब तहसीलदार बांगरमऊ 65 प्रतिशत, नायब तहसीलदार गंजमुरादाबाद 79 प्रतिशत निस्तारण है। एक वर्ष से अधिक पुराने वादो के निस्तारण की प्रगति संतोषजनक नही है। सबसे अधिक पुराने वाद उपजिलाधिकरी पुरवा के यहॉ 193, उपजिलाधिकारी बीघापुर 127, तहसीलदार पुरवा 149, न्यायिक तहसीलदार पुरवा के यहॉ 100 वाद लम्बित है। पुराने वादो के निस्तारण मे पीठासीन अधिकारियों द्वारा कोई रूचि नही ली जा रही है, जो आपित्तजनक है। एक वर्ष से अधिक पुराने वादो का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाये, अगली बैठक मे एक वर्ष से अधिक पुराने वादो के निस्तारण की भी सूचना दी जाये। मानक व दायरा के सापेक्ष वादो के निस्तारण की प्रगति सुनिश्चित की जाये तथा पुराने वादो के निस्तारण मे विशेष प्राथमिकता दी जाये। यह प्रयास किया जाये कि अदम पैरवी मे मुकदमे खारिज न हो। रेवन्यू साफ्ट पर आदेश अद्यावधिक अपलोड नही हो रहे है तथा तिथियॉ भी अद्यावधिक नही है। अनुश्रवण करते रहे तथा आदेश व तिथियॉ अद्यावधिक अपलोड कराते रहे। सभी तहसीलदार व उपजिलाधिकारी यह प्रमाण पत्र देंगे कि उनके न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय मे आदेश व तिथियॉ नियमित रूप से अपलोड हो रही है।

198-क(2) के अन्तर्गत कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही

इस मद में माह में तहसील सफीपुर के 01 वाद का निस्तारण उपजिलाधिकारी सदर द्वारा किया गया है तथा उपजिलाधिकारी पुरवा द्वारा 01 वाद का निस्तारण किया गया है। उपजिलाधिकारी, सदर व पुरवा लम्बित 69 वादो का शीघ्रता से निस्तारण सुनिश्चित करे तथा प्रगति बढाये।

122-बी के अन्तर्गत कार्यवाही

इस अधिनियम के अन्तर्गत माह मे 174 वादो का निस्तारण किया गया है, जिसके अन्तर्गत 12.727 हे0 भूमि आच्छादित है। गत बैठक मे दिये गये निर्देशों के अनुपालन में इस बैठक

मे भी कोई भी तहसीलदार बेदखली व पत्रावलियों के दाखिला की स्थिति स्पष्ट नही कर सके। सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारित वादों में बेदखली जमा धनराशि का विवरण व निर्णीत पत्रावलियों का दाखिला अलग–अलग माह का एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करे, जिसमे यह भी स्पष्ट करे कि क्या बेदखल होना था, क्या बेदखल किया गया तथा कौन–कौन सी पत्रावली दाखिल की गयी। निस्तारित पत्रावलियों में अग्रिम कार्यवाही पूर्ण कर समय से दाखिला सुनिश्चित करायें।

33 ए के अन्तर्गत अविवादित वरासत

इस अधिनियम के अन्तर्गत माह में 689 मामले दर्ज होने योग्य पाये गये, जिनमें समस्त 689 वरासत दर्ज कर 689 खतौनी वितरित की गयी है। अमलदरामद शतप्रतिशत होना चाहिये। अमलदरामद चेक करा लिया जाये, त्रुटियाँ संज्ञान मे आ रही है। कम्प्यूटराइजेशन में बहुत त्रुटियाँ हो रही है। उपजिलाधिकारी व तहसीलदार स्वंय प्रतिमाह 10 रैण्डम अमलदरामद आर–6 से चेक करे। कम्प्यूटर आपरेटर जो काफी समय से कार्य कर रहे है, उन्हे बदला जाये तथा अन्य कर्मचारियो को यह दायित्व सौपा जाये।

धारा–34 अविवादित दाखिल खारिज–

इस अधिनियम के अन्तर्गत 8806 वादो के सापेक्ष 2908 वादो का निस्तारण किया गया है। माह के अन्त मे 5898 वाद निस्तारण हेतु अवशेष है, जिनमे 24 विवादित व शेष 5874 अविवादित है। वादो को एक पक्षीय खारिज न किया जाये। 45 दिन से अधिक समय तक वाद लम्बित नही रहना चाहिये। विवादित वाद कम निस्तारित हो रहे है, इस पर ध्यान दिया जाये। तहसीलदारो द्वारा अनुरोध किया गया कि विक्रय विलेख निस्पादन के समय क्रेता का मोबाईल नम्बर भी अंकित करा दिया जाये तो क्रेता को सूचित कर उससे शपथ पत्र प्राप्त करने मे सुविधा रहेगी। शपथ पत्र के अभाव में अविवादित दाखिल खारिज का निस्तारण नही हो पाता है, जिसके कारण अनावश्यक रूप से वाद लम्बित रहता है अथवा खारिज करना पड़ता है। स्टाम्प लिपिक सभी उपनिबन्धकों को विक्रय विलेख पर क्रेता का मोबाईल नम्बर अंकित किये जाने हेतु अलग से पत्र प्रेषित करे।

आवंटन–

कृषि भूमि आवंटन के अन्तर्गत उन्नाव मे लक्ष्य 39 हे0 के सापेक्ष 23.456हे0, हसनगंज मे लक्ष्य 30 हे0 के सापेक्ष 22.418 हे0, सफीपुर लक्ष्य 40हे0 के सापेक्ष 100.639हे0, बीघापुर मे लक्ष्य 21हे0 के सापेक्ष 16.897हे0, पुरवा मे लक्ष्य 25हे0 के सापेक्ष 85.211हे0 का आवंटन किया गया है। तहसील, उन्नाव व हसनगंज मे माह मे कोई आवंटन नही किया गया है। तहसीलदार/उपजिलाधिकारी, उन्नाव, हसनगंज व बीघापुर आवंटित लक्ष्य की पूर्ति प्रत्येक दशा में नवम्बर, 2014 मे पूर्ण कर मौके पर कब्जा, दखलनामा व नक्शा पत्रावली पर सुरक्षित रखे।

आवास स्थल आवंटन के अन्तर्गत तहसील उन्नाव मे लक्ष्य 207 परिवारो के सापेक्ष 125 परिवार, हसनगंज मे लक्ष्य 150 परिवार के सापेक्ष 107, सफीपुर मे लक्ष्य 190 के सापेक्ष 227, पुरवा मे लक्ष्य 200 के सापेक्ष 205, बीघापुर मे लक्ष्य 135 के सापेक्ष 136 परिवारो को आवंटन किया गया है। तहसीलदार/उपजिलाधिकारी, उन्नाव, हसनगंज आवंटित लक्ष्य की पूर्ति प्रत्येक दशा में नवम्बर 2014 मे ही सुनिश्चित कर ले।

मत्स्य पालन आवंटन के अन्तर्गत तहसील उन्नाव मे लक्ष्य 2हे0 के सापेक्ष 5.429हे0, हसनगंज लक्ष्य 15 हे0 के सापेक्ष 23.622हे0, सफीपुर लक्ष्य 5 हे0 के सापेक्ष 53.402हे0, पुरवा लक्ष्य 18.500हे0 के सापेक्ष 15.061हे0, बीघापुर लक्ष्य 3.500हे0 के सापेक्ष 4.839हे0 आवंटित किया गया है। तहसीलदार/उपजिलाधिकारी, पुरवा भी लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करायें। सभी तहसीलो में शर्तनामा भी निस्पादित कराकर पत्रावली पर रखा जाये।

कुम्हारी कला के अन्तर्गत सभी तहसीलो मे लक्ष्य की पूर्ति कर ली गयी है।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत तहसील उन्नाव मे लक्ष्य 9 हे0 के सापेक्ष 7.084हे0, सफीपुर 5हे0 के सापेक्ष 5.188हे0, पुरवा लक्ष्य 4.570हे0 के सापेक्ष 4.570हे0, बीघापुर 7हे0 के सापेक्ष 7.137हे0, हसनगंज 3हे0 के सापेक्ष 5.063हे0 आवंटन किया गया है। इस प्रकार तहसील उन्नाव द्वारा लक्ष्य की पूर्ति नही की गयी है। निर्देशित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप आवंटन सुनिश्चित कराते हुये प्रगति से अवगत करावे।

चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि से हटाये गये अतिक्रमण–

चकमार्ग तथा सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर माह में पाये गये 43 अतिक्रमण क्षेत्रफल 3.680 हे0 के सापेक्ष 43 अतिक्रमण क्षेत्रफल 3.680 हे0 का अतिक्रमण हटाया गया है। वास्तविक रूप से चकमार्गों/सार्वजनिक भूमि से अवैध कब्जे हटाये जाये तथा सत्यापन भी कराया जाये।

122 बी के नियम 115 सी के अन्तर्गत हर्जाना वसूली–

इस मद मे कुल 477 मामले मे 7,54,038/–के सापेक्ष्य 73 मामलो मे 89,399/–की वसूली की गयी है। तहसील बीघापुर, सफीपुर व पुरवा मे हर्जाना वसूली बहुत कम है। निर्देशित किया गया कि हर्जाना वसूली करते हुये बेदखली की भी कार्यवाही की जाये तथा वसूल की गयी धनराशि की चालान की प्रति सहित सूची भी प्रेषित की जाये।

कृषि भूमि/आवासीय भूमि के पट्टो से अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों को कब्जा दिलाना

इस मद के विवरण पत्र मे चिन्हित अवैध कब्जो मे सभी व्यक्तियो को कब्जा दिये जाने की सूचना दी गयी है। समस्त तहसीलदारो को निर्देशित किया गया कि सभी पत्रावलियो पर दखलनामा, कब्जा व नक्शा की प्रति रखी जाये।

वसूली–

तहसीलदारों द्वारा अवगत कराया गया कि एल.आर.–1 तैयार हो गये हैं । जेड.ए.–66 व 62ई तैयार कराकर प्रत्येक दशा मे मुख्य देयो की वसूली 15 नवम्बर,2014 से प्रारम्भ हो जाय । सिंचाई देय में तहसील हसनगंज में 11.06 लाख की बकाया पडी हुयी है। तहसीलदार/उपजिलाधिकारी, हसनगंज को निर्देशित किया गया कि सिंचाई देय की अवशेष मांग की समीक्षा व प्रयास कर इस बकाया को शून्य कराया जाये।

विविध देय में तहसील उन्नाव मे 87, पुरवा में 87, बीघापुर 86, सफीपुर 88, हसनगंज 88 प्रतिशत जनपद में कुल 87 प्रतिशत की वसूली की गयी हैं। तहसील उन्नाव मे गतवर्ष की तुलना मे 161.06 लाख,तहसील पुरवा में 6.89 व तहसील हसनगंज मे 82.84 लाख की कम वसूली की गयी है। इस बैकलॉक को पूरा करते हुये लक्ष्य के अनुरुप वसूली की जाये तथा किसी भी स्थिति में गतवर्ष से वसूली कम नही होनी चाहिये। कृषक ऋण को छोडकर सभी मदो मे वसूली कराते रहे। विविध देय के अन्तर्गत व्यापार कर, परिवहन देय, अन्य देय, विद्युत देय, उ0प्र0 अन्य निगम, बैंक देय, 115 डी, स्टाम्प देय, रायल्टी देय व श्रम देय मे वसूली हेतु बकाया पडी हुयी है। समस्त तहसीलदार/उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इन मदो में वसूली हेतु अवशेष पडी धनराशि को प्रयास कर बकाया को शून्य किया जाये।

विविध देय के 10 बड़े बाकीदारो का विवरण–

इस मद में बकायेदारों के विरूद्व कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गई है । उप जिलाधिकारी स्वयं समीक्षा कर बडे बाकीदारो के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराते हुए वसूली सुनिश्चित करायें।

औसत वसूली प्रति अमीन एवं व्यय–

तहसील सफीपुर को छोडकर सभी तहसीलों मे व्यय का प्रतिशत मानक से अधिक है। गहन समीक्षा कर व्यय का प्रतिशत कम किया जाये।

मा0 मुख्यमन्त्री सन्दर्भ/लोकवाणी/जनशिकायत/लम्बित सन्दर्भ/तहसील दिवस–

मा0 मुख्यमंत्री सन्दर्भ, लोकवाणी, जनता दर्शन व तहसील दिवस के सन्दर्भ किसी भी स्थिति में लम्बित नही रहना चाहिए, अवशेष शून्य होना चाहिए। तहसील दिवस के कुल 219 प्रकरण माह के अन्त मे लम्बित है। तहसील दिवस का कोई भी प्रकरण निर्धारित समयावधि के पश्चात लम्बित नही रहना चाहिये। जिन विभागो/अधिकारियों की शिकायते लम्बित है उन्हे अलग से पत्र प्रेषित किया जाये तथा दूरभाष से वार्ता कर समस्त शिकायतों का निस्तारण कराया जाये।

एस0एस0डी0जी0–

एस0एस0डी0जी0 के अन्तर्गत कुल 10494 आवेदन पत्र अवशेष है। इन अवशेष आवेदन पत्रों को शीघ्र निस्तारित किया जाये। आय, जाति, निवास व खतौनियों से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की संख्या बढ रही है। तहसीलदारो द्वारा अवगत कराया गया कि लेखपालो की हड़ताल के कारण आय, जाति, निवास प्रमाण पत्रों के निस्तारण में समस्या आ रही है। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार हड़ताल से सम्बन्धित एजेन्डा का परीक्षण कर ले तथा तद्नुसार लेखपाल प्रतिनिधियों से वार्ता कर कार्यवाही करायें। तहसील दिवस बांगरमऊ मे 16 आवेदन पत्र

मिसिंग है, तहसीलदार व उपजिलाधिकारी इसे देखे। किसी भी स्थिति मे समय सीमा के उपरान्त आवेदन पत्र लम्बित नही रहना चाहिए।

रिट याचिकाये–

तहसील पुरवा मे 02 संग्रह अनुभाग, सफीपुर मे 03 संग्रह अनुभाग, हसनगंज में 06 संग्रह अनुभाग व 02 ग्रामसभा से सम्बन्धित कुल 13 रिट याचिकाओ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना अवशेष है। निर्देशित किया गया कि अवशेष सभी रिट याचिकाओ मे प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराकर अवगत कराया जाये।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन–

माह मे मात्र 14 छापे व 22 नमूना संग्रहण किया गया है तथा कोई भी वाद योजित नही हुआ है। प्रवर्तन कार्य संतोषजनक नही है। अभियान चलाकर छापे व नमूना संग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

विभागीय कार्यवाही–

तहसील सफीपुर मे श्री सुधीर कुमार त्रिपाठी, लेखपाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही दिनांक 18.07.2014 से व श्री राकेश दीक्षित, संग्रह अमीन के विरूद्ध दिनांक 11.08.2014 से लम्बित है। तहसील हसनगंज मे श्री दयाशंकर लेखपाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही दिनांक 11.08.2014 से व संतोष कुमार शाहू लेखपाल के विरूद्ध दिनांक 01.10.2014 से तथा श्री रमेश कुमार संग्रह अमीन के विरूद्ध दिनांक 10.09.2014 से व श्री हीरालाल, संग्रह अनुसेवक के विरूद्ध दिनांक 10.09. 2014 से विभागीय कार्यवाही लम्बित है। इन लम्बित विभागीय कार्यवाहियों को शीघ्र निस्तारित किया जाये।

डा० राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गॉवो का संतृप्तीकरण–

इस योजना के अन्तर्गत मात्र कृषि भूमि आवंटन तहसील सफीपुर मे संतृप्तीकरण किया जाना शेष है। अवशेष 02 गॉवो मे कृषि भूमि आवंटन कर संतृप्तीकरण पूर्ण किया जाये। लोहिया ग्रामों में आवंटियों को पट्टा वितरित कराकर पत्रावली पर दखलनामा, नक्शा व खतौनी अद्यावधिक रखी जाये।

पेंशन प्रकरण–

संग्रह अधिष्ठान के अन्तर्गत तहसील हसनगंज के संग्रह अमीन श्री कन्हैय्यालाल का पेंशन प्रकरण दिनांक 30.11.2013 से लम्बित है। अभी तक पेंशन प्रपत्र अप्राप्त है, जो आपत्तिजनक है। तहसील, सफीपुर में स्व0 श्री रामविलाश संग्रह अमीन की पारिवारिक पेंशन हेतु प्रपत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण दिनांक 31.10.2014 को वापस किये गये थे, जो अभी तक अप्राप्त है। तहसील, बीघापुर मे श्री जयप्रकाश संग्रह अमीन के पेंशन प्रकरण के परीक्षण हेतु व्यक्तिगत पत्रावली मांगी गयी थी, जो अभी तक अप्राप्त है। निर्देशित किया गया कि पेंशन प्रपत्र व कमियॉ निस्तारित कराकर अभिलेख एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित किया जाये।

खतौनी दाखिला–

सन् 1410 से 1415 तक की उन्नाव में 25, हसनगंज मे 06, सफीपुर में 23, पुरवा मे 07, बीघापुर मे 10 खतौनियां दाखिला हेतु अवशेष है। इन अवशेष खतौनियां को शीघ्र राजस्व अभिलेखागार में दाखिल कराया जाये।

पत्रावलियों का दाखिला–

जनपद मे निर्णीत पत्रावलियों मे 15,316 पत्रावलियां दाखिला हेतु अवशेष है। माह मे 4,459 पत्रावलियां दाखिल की गयी है। काफी संख्या मे पत्रावलियों के दाखिला हेतु अवशेष रहना आपत्तिजनक है तथा इस बात का द्योतक है कि पेशकारो द्वारा इसमें पर्याप्त रूचि नही ली जा रही है तथा पीठासीन अधिकारियों द्वारा सम्यक अनुश्रवण नही किया जा रहा है। तहसीलदार, हसनगंज व उपजिलाधिकारी, पुरवा के पेशकार को चेतावनी जारी की जाये। सभी नायब तहसीलदार अपने न्यायालय की निर्णीत पत्रावलियॉ शीघ्र दाखिल कराये अन्यथा अगले माह की बैठक में प्रतिकूल प्रविष्टि हेतु संस्तुति प्रेषित कर दी जायेगी। सभी न्यायालयो मे कम से कम 50 प्रतिशत पत्रावलियों का दाखिला इस माह अवश्य किया जाये। उप संचालक,चकबन्दी बन्दोबस्त अधिकारी,चकबन्दी व अन्य चकबन्दी अधिकारी न्यायालय की भी काफी संख्या मे पत्रावलियां दाखिला हेतु अवशेष है। इन अवशेष पत्रावलियों को शीघ्र दाखिल किया जाये। 122 बी/115 डी के अन्तर्गत निस्तारित

पत्रावलियाँ भी काफी संख्या में दाखिला हेतु अवशेष है। उपजिलाधिकारी स्वंय अनुश्रवण करे तथा आख्या प्रेषित करे।

जनसूचना–

दिनांक 18 व 19.12.2014 को राज्य सूचना आयुक्त जनपद मे आयोग में लम्बित मामलो के निस्तारण हेतु पधार रहे है। गत बैठक मे इस सम्बन्ध मे विस्तृत निर्देश दिये गये थे, लेकिन अभी तक कार्यवाही कर जवाब नही प्रेषित किया गया है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि आयोग मे लम्बित प्रकरणों में कार्यवाही कर एक सप्ताह के अन्दर प्रगति से अवगत करायें। नवम्बर के तृतीय सप्ताह मे पुनः बैठक की जायेगी। बैठक के पूर्व जिन अधिकारियों द्वारा प्रगति नही की जायेगी उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

कृषक दुर्घटना बीमा योजना–

इस योजना के अन्तर्गत 256 दावे अवशेष है, जिसके लिये 8,90,00,000/–धनराशि की आवश्यकता है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की धनराशि अन्य व्यक्तियों द्वारा निकाले जाने से सम्बन्धित समाचार पत्र मे प्रकाशित प्रकरण पर उपजिलाधिकारी, हसनगंज जाँच कर आख्या प्रेषित करे।

आम आदमी बीमा योजना–

इस योजना के अन्तर्गत सर्वे करा लिया जाये। कोई भी पात्र व्यक्ति छूटना नही चाहिये। प्रति तहसील एक हजार व्यक्तियों को इस योजना से आच्छादित कराया जाये। छात्रवृत्ति के दावे नही आ रहे है। सर्वे कराकर दावे प्रेषित किये जाये। शासकीय योजनाओ का जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाया जाये।

सामान्य–

विविध देय के सभी मदो मे वसुली लक्ष्य के अनुरूप सुनिश्चित की जाये तथा बकाया शून्य किया जाये। तहसील दिवस व लम्बित संदर्भो का शीघ्रता व समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाये। कृषि भूमि व आवास स्थल आवंटन में लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित की जाये वादो का निस्तारण मानक व दायरा के सापेक्ष शत प्रतिशत सुनिश्चित किया जाये। वादो मे तिथियां, आदेश व दायरा अद्यावधिक पोर्टल पर अपलोड किया जाये। जनपद मे अवैध खनन पर नियंत्रण रखा जाये। भूलेख अधिष्ठान की जनसूचना के अन्तर्गत प्रथम अपील तहसील, उन्नाव में 01 व हसनगंज में 01 लम्बित है। इसमे 03 दिन के अन्दर आख्या प्रेषित की जाये। मा0 उच्च न्यायालय मे योजित रिट याचिका संख्या–5879/2012 गंगाबक्श सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य मे पारित आदेश के अनुपालन हेतु कार्यवाही सम्बन्धित तहसील पुरवा, हसनगंज व सफीपुर से आख्या अप्राप्त है, शीघ्र प्रेषित किया जाये।

अन्त में बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(शिवेन्द्र कुमार सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्या– 246 /आ0लि0/समीक्षा बैठक कार्यवृत्त   दिनांक 12 नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या 10 दिन के अन्दर प्रेषित करे।

1. जिलाधिकारी महोदया, उन्नाव को सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
3. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद उन्नाव।
4. प्रभारी अधिकारी(सं0का0), कलेक्ट्रेट उन्नाव।
5. प्रभारी अधिकारी, लोकवाणी/शिकायत/नजारत/राजस्व अभिलेखागार/रिट, उन्नाव।
6. जिला सूचना अधिकारी, उन्नाव।
7. मुख्य खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी, उन्नाव।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
उन्नाव।